प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला भ्र0नि0 ब्यूरो, झालावाड़ थाना :– प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर वर्ष :– 2022
प्र0सू0रि0 सं ....448/22........ दिनांक........22/11/2022

2. (1) अधिनियम पी.सी.(संशोधन) एक्ट 2018धाराऐं..................... 7 पी.सी.(संशोधन) एक्ट 2018

(2) अधिनियम..धाराऐं ....

(3) अधिनियम..धाराऐं..

(4) अन्य अधिनियम एवं .... धाराऐं ....

3. (क) घटना का दिन :– सोमवार दिनांक :– 21.11.2022
(ख) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक :– 17.11.2022 समय :– 12.30 पी.एम.
(ग) रोजनामचा संदर्भ प्रविष्टि संख्या ......578...... समय..............4:45 P.M.

4. सूचना कैसे प्राप्त हुई– (लिखित/मौखिक) लिखित प्रार्थना पत्र

5. घटनास्थल का ब्यौरा :–
(क) थाने से दिशा एवं दूरी –चौकी ए.सी.बी. झालावाड़ से करीब 135 कि0मी0 बजानिब दक्षिण–पश्चिम दिशा
बीट संख्या..जुरामदेही सं..
(ख) पताः– सुभाष चौक स्थित टायर्स व वेल्डिंग की दुकान के पास, गंगधार जिला झालावाड़
(ग) यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो, तब उस थाने का नाम..............जिला ....

6. शिकायतकर्त्ता/इतिला देने वाला :–
(क) नाम :– श्री जवानलाल
(ख) पिता/पति का नाम :– श्री रोडूलाल जाति मेहर
(ग) जन्म तिथि/उम्र :– 32 साल
(घ) राष्ट्रीयता – भारतीय
(ड़) पासपोर्ट संख्या........................जारी करने की तिथि.............................जारी करने का स्थान
(च) व्यवसाय –
(छ) पता :– मकान नं0 10, बलाई मोहल्ला ग्राम सुनारी, तहसील/थाना गंगधार, जिला झालावाड़ (राज0)।

7. ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण :–

श्री अन्तिम कुमार पुत्र स्व0 श्री कैलाशचन्द जाति मीणा उम्र 38 साल निवासी चौमहला थाना/तहसील गंगधार जिला झालावाड़ हाल रोजगार सहायक ग्राम पंचायत सुनारी पंचायत समिति डग जिला झालावाड़ (राज0)

8. शिकायत/इतिला देने वाले द्वारा सूचना देने में देरी का कारण :– कोई नहीं
9. चोरी हुई/लिखित सम्पति की विशिष्टियॉ (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)
10. चोरी हुई/लिखित सम्पति का कुल मूल्यः – 10,000 रूपये ....
11. पंचनामा/यूडी के संख्या (अगर हो तो)..
12. प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषयवस्तु :–

महोदय,

हालात् घटना क्रम इस प्रकार है कि दिनांक 17.11.2022 समय 12.30 पी.एम. पर परिवादी श्री जवानलाल पुत्र श्री रोडूलाल जाति मेहर उम्र 32 साल निवासी मकान नम्बर 10, बलाई मोहल्ला ग्राम सुनारी, तहसील व थाना गंगधार जिला झालावाड़ (राज0) ने ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ पर स्वंय उपस्थित होकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र पेश किया। परिवादी श्री जवानलाल के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया गया। परिवादी ने प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त तथ्य सही

होना तथा उस पर स्वंय के हस्ताक्षर होना बताया तथा परिवादी ने मजमून दरियाफ्त पर बताया कि उसकी पत्नि श्रीमती सोरम बाई के नाम से प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत ग्राम सुनारी में आवास निर्माण का कार्य स्वीकृत हुआ है, जिसका निर्माण कार्य पूर्ण करा दिया है। उसकी पत्नि श्रीमती सोरम बाई के नाम से सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा, उन्हेल में बचत बैंक खाता है जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना की किश्तों के 15,000 व 45,000 कुल 60,000रूपये तथा मस्ट्रोल के 13,000रूपये कुल मिलाकर 73,000रूपये की रकम उसकी पत्नि के बैंक खाते में जमा हो गयी है तथा जमा राशि का उपयोग भी हमने मकान निर्माण कार्य में कर लिया है। मकान निर्माण की अगली किश्त के 60,000रूपये तथा मस्ट्रोल के 7,000रूपये कुल 67,000रूपये बैंक खाते में आना शेष है। ग्राम सुनारी में उनके द्वारा मकान निर्माण कार्य पूर्ण कराने के बावजूद भी उसकी पत्नि के बैंक खाते में श्री अन्तिम मीणा कनिष्ठ सहायक (सहायक सचिव) द्वारा नही डलवाये गये है। इस सम्बंध में वह स्वंय ग्राम पंचायत सुनारी में तैनात कनिष्ठ सहायक (सहायक सचिव) श्री अन्तिम मीणा से कई बार मिला तो श्री अन्तिम मीणा ने उसको उसकी पत्नि के बैंक खाते में प्रधानमंत्री आवास योजना की बकाया किश्त व मस्ट्रोल के 67,000रूपये डलवाने की एवज में 30,000रूपये रिश्वत राशि की मांग की है। जबकि उसके द्वारा श्री अन्तिम मीणा कनिष्ठ सहायक (सहायक सचिव) को 3,000रूपये पूर्व में ही दे दिये है तथा शेष 27,000रूपये रिश्वत राशि नही देने पर वह उसको डेढ–दो महिने से चक्कर कटवा रहा है। उसने अपने मोबाईल नम्बर 6378877863 से श्री अन्तिम मीणा के मोबाईल नम्बर 9309220968 पर कई बार बातचीत कर पैसे डलवाने के लिए हाथाजोड़ी की परन्तु श्री अन्तिम मीणा ने कहा कि तुमको बता दिया है उतने रूपये लेकर आ जाओ तुम्हारा काम हो जायेगा। मुझे तुमसे कोई फालतू बातें नही करनी है। श्री अन्तिम मीणा ने मुझसे कहा कि जब तक रिश्वत राशि के 27,000रूपये नही दोगें तब तक न तो तुम्हारे प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत बनाये गये मकान पर नाम लिखूंगा और ना ही बनाये गये मकान का फोटो खिचूंगा। जब तक यह काम नही करूंगा तब तक तुम कैसे रूपये ले सकते है। तुम चक्कर काटते ही रहो। श्री अन्तिम मीणा ने उसको यह भी कहा कि तुम्हारी वजह से मेरा सारा सिस्टम बिगड़ रहा है तुमने गांव का माहौल खराब कर रखा है, कि इनको कोई रूपये नही देने है। इस वजह से जिससे भी रूपये देने के लिए बोलता हूं वह कहता है कि जवानलाल ने तो रूपये दिये ही नही तो फिर हम भी तुमको रूपये क्यों दे। उसको श्री अन्तिम मीणा ने यह भी कहा कि मुझे झालावाड़ जाकर भी उपर तक रूपये देने पड़ते है। मैं हमारे जायज काम के लिए श्री अन्तिम मीणा कनिष्ठ सहायक (सहायक सचिव) को 27,000रूपये रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हूं तथा उनको रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूं। मेरी तथा मेरी पत्नि की उनसे कोई पुरानी रंजिश नहीं है तथा ना ही रूपये पैसे का कोई पुराना लेन देन बकाया है। मेरी पत्नि श्रीमती सोरम बाई द्वारा मुझे कार्यवाही कराने के लिए बोल रखा है। परिवादी श्री जवानलाल द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र व मजमून दरियाफ्त से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधित) 2018 की धारा 7 की परिधि में आता है। अतः परिवादी श्री जवानलाल को आरोपी श्री अन्तिम मीणा कनिष्ठ सहायक (सहायक सचिव) के पास परिवादी के बताये अनुसार गंगधार भिजवाकर रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जावेगा। सत्यापन में जैसी स्थिति बनेगी, तदानुरूप अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। दिनांक 17.11.2022 समय 01:30 पीएम पर श्री मोहम्मद आफाक हैड कॉनि0 नं0 97 से मालखाना में रखे हुए ब्यूरो कार्यालय के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को निकलवाकर मन् अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा चेक किया जाकर परिवादी श्री जवानलाल को चालू बन्द करने की विधिवत् प्रक्रिया ऑपरेटिग करना भलीभांति समझाकर सुपुर्द कर रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु आरोपी श्री अन्तिम मीणा कनिष्ठ सहायक (सहायक सचिव) के बारे में गंगधार होने की जानकारी करने के पश्चात् ब्यूरो कार्यालय के कॉनि0 श्री देवदान सिंह नं0 425 को निगरानी रखने हेतु परिवादी श्री जवानलाल के साथ अपनी–अपनी मोटरसाईकिलों से गंगधार के लिए आवश्यक हिदायत देकर रवाना किया गया। फर्द सुपुर्दगी डिजिटल वाईस रिकॉर्डर पृथक से मुर्तिब की गयी। दिनांक 17.11.2022 समय 08:30 पीएम पर परिवादी श्री जवानलाल के साथ आरोपी श्री अन्तिम मीणा कनिष्ठ सहायक (सहायक सचिव) से रिश्वत मांग सत्यापन वार्तालाप कराने हेतु निगरानी के लिये गंगधार भेजा गया श्री देवदान सिंह कॉनि0 425 अकेला ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर पूछने पर बताया कि मैं आपके निर्देशानुसार परिवादी श्री जवानलाल के साथ अपनी–अपनी मोटर साईकिलों से ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर गंगधार चौराहा के नजदीक पहुंचने पर आरोपी के बारे में जानकारी करने के पश्चात् मैंने परिवादी श्री जवानलाल को आवश्यक हिदायत देकर आरोपी श्री अन्तिम मीणा कनिष्ठ सहायक (सहायक सचिव) के पास गंगधार चौराहा पर स्थित पुलिस चेक पोस्ट के निकट रिश्वत मांग वार्तालाप करने के लिये रवाना कर दिया था तथा तत्पश्चात् अपनी मोटर साईकिल को साईड में खड़ा कर अपनी उपस्थिति छुपाते हुए उसी जगह पर परिवादी के लौटने का इन्तजार करने लगा। लगभग पौन घण्टा के पश्चात् परिवादी श्री जवानलाल उसी जगह अपनी मोटर साईकिल से मेरे पास आया तथा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर बन्द कर मुझे सुपुर्द कर उसने बताया कि मुझे श्री अन्तिम मीणा कनिष्ठ सहायक (सहायक सचिव) गंगधार चौराहा पर बनी हुई पुलिस चेक पोस्ट के निकट मिल गया था जिसके द्वारा मुझे साईड में ले जाकर बातचीत करने पर मैंने हमारे प्रधानमंत्री आवासीय योजना में बनाये गये मकान की किश्त के शेष राशि 67,000रूपये मेरी पत्नि श्रीमती

सोरम बाई के बैंक खाते में डलवाने के सम्बंध में बातचीत की थी जिसमें उसके द्वारा 27,000रूपये रिश्वत राशि मांगने पर मैंने सोमवार को 10,000रूपये रिश्वत राशि देने के लिए कहा है। इस प्रकार मैंने हमारे काम के सम्बंध में रिश्वत मांग सत्यापन वार्तालाप कर ली है। वार्तालाप के दौरान मैंने डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर चालू कर लिया था। परिवादी श्री जवानलाल ने कहा कि मुझे वापिस आपके साथ झालावाड़ चलकर पुनः अपने गांव लौटने में रात्रि का समय हो जावेगा तथा मुझे रिश्वत राशि के दस हजार रूपयों की व्यवस्था भी करनी है अतः मैं सोमवार दिनांक 21.11.2022 को सुबह 08.00 बजें करीब एसीबी चौकी झालावाड़ पर रिश्वत राशि के साथ उपस्थित हो जाऊंगा। इस पर परिवादी श्री जवानलाल को गंगधार से ही अब तक की कार्यवाही के सम्बन्ध में पूर्णतया गोपनीयता बरतने व अन्य आवश्यक हिदायत देकर उसके गांव के लिये रूखसत करने के पश्चात् मैं अपनी मोटर साईकिल से वापिस ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ उपस्थित आया हूँ। श्री देवदान सिंह कॉनि0 द्वारा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द किये रिश्वत मांग सत्यापन सम्बन्धी रिकॉर्डेड वार्तालाप के डिजिटल वाइस रिकॉर्डर को सुरक्षित मालखाना रखने हेतु श्री मोहम्मद आफाक हैड कॉनि0 97 को सुपुर्द किया गया। आईन्दा परिवादी श्री जवानलाल व स्वतन्त्र गवाहान की उपस्थिति में डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्डेड वार्ता को ब्यूरो कार्यालय के कम्प्यूटर में डालकर सुना जाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता मुर्तिब की जावेगी। दिनांक 20.11.2022 समय 03:00 पीएम पर परिवादी श्री जवानलाल द्वारा आरोपी श्री अन्तिम मीणा कनिष्ठ सहायक (सहायक सचिव) को सोमवार दिनांक 21.11.2022 को रिश्वत राशि के 10,000/–रूपये देकर ट्रेप कार्यवाही करानी है तथा परिवादी श्री जवानलाल ने यह भी अवगत कराया है कि वह दिनांक 21.11.2022 को प्रातः 08.00 करीब रिश्वत राशि के 10,000रूपये लेकर ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित हो जावेगा। अतः दिनांक 21.11.2022 को की जाने वाली ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहान की तलबी हेतु जिला आबकारी अधिकारी, जिला झालावाड़ के नाम पत्रांक 1276 दिनांक 20.11.2022 मुर्तिब कर श्री चन्द्रेश गोयल कानि0 नं0 279 को देकर दिनांक 21.11.2022 को प्रातः 08:30 एएम पर दो सरकारी गवाह भिजवाने के लिए पाबन्द कर उनके नाम, पदनाम व मोबाईल नम्बर अवगत कराने के लिए कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, झालावाड़ के लिए रवाना किया गया। दिनांक 20.11.2022 समय 04:15 पीएम पर श्री चन्द्रेश गोयल कानि0 नं0 279 ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया तथा गोपनीय कार्यवाही हेतु कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, झालावाड़ के श्री श्रीकिशन कश्यप पुत्र स्व0 श्री नन्दकिशोर जाति भोई उम्र 46 वर्ष निवासी सुभाष कॉलोनी, धनवाड़ा का तालाब झालावाड़ हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, झालावाड़ मो0नं0 9414595691 व श्री प्रकाश गुर्जर पुत्र स्व0 श्री रामप्रसाद जाति गुर्जर उम्र 39 वर्ष निवासी म0नं0 65 राम चौक टेकरी, राजस्थान अकादमी स्कूल के पीछे, शास्त्री सर्किल, उदयपुर हाल जमादार आबकारी थाना, झालावाड़ मो0नं0 9529951100 को पाबन्द कर ब्यूरो कार्यालय में पाबन्द शुदा गवाहान का पत्रांक 764 दिनांक 20.11.2022 मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द किया गया। जिसे बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 21.11.2022 समय 08.15 एएम पर तलविदा दो स्वतंत्र गवाहान श्री श्रीकिशन कश्यप हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, झालावाड़ व श्री प्रकाश गुर्जर हाल जमादार आबकारी थाना, झालावाड़ ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये। जिनसे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिचय प्राप्त कर की जाने वाली कार्यवाही से अवगत् करवाया गया। दिनांक 21.11.2022 समय 08:20 एएम पर परिवादी श्री जवानलाल ब्यूरो कार्यालय मे उपस्थित आया व अवगत कराया कि वह अपने साथ रिश्वत मे दी जाने वाली रिश्वत राशि 10,000 रूपये लेकर आया है। परिवादी ने यह भी अवगत कराया कि आरोपी श्री अन्तिम मीणा कनिष्ठ सहायक (सहायक सचिव) से पूर्व में हुई वार्ता अनुसार आज रिश्वत राशि देना है। परिवादी का ब्यूरो कार्यालय मे उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री श्रीकिशन कश्यप हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, झालावाड़ व श्री प्रकाश गुर्जर हाल जमादार आबकारी थाना, झालावाड़ का परिवादी से परस्पर परिचय कराया गया। परिवादी श्री जवानलाल का दिनांक 17.11.2022 को ब्यूरो कार्यालय में पेश किया गया प्रार्थना पत्र रिश्वत देते रंगे हाथों पकड़वाने बाबत् पढ़कर सुनाया गया। इस पर दोनों स्वतंत्र गवाहान ने प्रार्थना पत्र को पढ़कर व परिवादी से पूछताछ कर परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र पर अपने–अपने हस्ताक्षर किये तथा ट्रेप कार्यवाही मे सहयोग हेतु सहमति प्राप्त की गई। दिनांक 21.11.2022 समय 08:40 एएम पर परिवादी श्री जवानलाल व दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री श्रीकिशन कश्यप व श्री प्रकाश गुर्जर की मौजूदगी में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्देश देकर श्री मोहम्मद आफाक हैड कानि. नं. 97 से मालखाना मे रखे हुऐ डिजिल वाईस रिकॉर्डर को निकलवाया जाकर सुना गया तो दिनांक 17.11.2022 को परिवादी श्री जवानलाल व आरोपी श्री अन्तिम मीणा कनिष्ठ सहायक (सहायक सचिव) के मध्य आपस में हुई सत्यापन वार्ता में आरोपी द्वारा परिवादी श्री जवानलाल के प्रधानमंत्री आवासीय योजना में बनाये गये मकान की किश्त के शेष राशि 67,000रूपये परिवादी की पत्नि श्रीमती सोरम बाई के बैंक खाते में डलवाने के सम्बंध में बातचीत की थी, जिसमें आरोपी द्वारा 27,000रूपये रिश्वत राशि मांगने पर परिवादी ने सोमवार को 10,000रूपये रिश्वत राशि देने के लिए कहने की पुष्टि हुई है। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुनकर दिनांक 17.11.2022 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को श्री देवदान सिंह कानि. नं. 425 को निर्देश देकर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर से उक्त वार्ता को कार्यालय के कम्प्यूटर में लिवाकर दोनों स्वतंत्र गवाहान, परिवादी श्री जवानलाल के समक्ष वार्ता

को कम्प्यूटर के स्पीकर ऑन कर वार्ता को सुनाया गया, उक्त वार्ता में आवाज की पहचान कर परिवादी श्री जवानलाल ने एक आवाज स्वंय की तथा दूसरी आवाज आरोपी श्री अन्तिम मीणा कनिष्ठ सहायक (सहायक सचिव) की होना बताया। वार्ता की हुबहु कम्प्यूटर से टाईप कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता तैयार कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। दिनांक 21.11.2022 समय 10:40 एएम पर परिवादी श्री जवानलाल ने दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री श्रीकिशन कश्यप व श्री प्रकाश गुर्जर के समक्ष अपने पास से 10,000 रूपये रिश्वत में दी जाने वाली राशि 500–500 रूपये के कुल 20 नोट भारतीय मुद्रा के मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश किये जिनके नम्बरों को फर्द में अंकित करवाया गया। उक्त प्रस्तुत नोटो को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी व दोनों सरकारी स्वतन्त्र गवाहान को दिखा कर श्री हर्ष कुमार कानि. नं. 234 से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी मालखाना से निकलवाकर मंगवाई तथा उक्त कानि. को रिश्वत में दिये जाने वाले नोट सुपुर्द कर उसके द्वारा 10,000/–रूपये रिश्वत राशि के नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर इस प्रकार लगवाया गया कि नोटो पर पाउडर की मौजूदगी प्रभावी व अदृश्य रहे तथा गवाह श्री किशन कश्यप से परिवादी श्री जवानलाल की जामा तलाशी लिवायी जाकर उसके पास पहने हुये कपड़े व मोबाईल के अलावा कुछ भी नहीं रहने दिया। श्री हर्ष कुमार कानि. नं. 234 के हाथ से सीधे ही फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त उक्त रिश्वत राशि परिवादी श्री जवानलाल की पहनी हुई पेंट की साईड की दाहिनी जेब में रखवायी गयी। परिवादी को हिदायत दी गई की वह रिश्वती राशि को रास्ते में अनावश्यक हाथ नहीं लगाये तथा आरोपी श्री अन्तिम मीणा कनिष्ठ सहायक (सहायक सचिव) ग्राम पंचायत सुनारी द्वारा मांगने पर ही निकालकर रिश्वती राशि उसे देवें। रिश्वती राशि देने के पश्चात एवं पूर्व में आरोपी से हाथ नहीं मिलायें यदि अभिवादन की आवश्यकता पड़े तो दूर से ही दोनों हाथ जोड़कर अभिवादन कर लें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गयी कि आरोपी द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के पश्चात कहां रखता अथवा छुपाता हैं का भी ध्यान रखें तथा आरोपी के रिश्वती राशि प्राप्त करने पर अपने स्वंय के सिर पर दोनों हाथ फेर कर या मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल पर मिस काल करें ताकि मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं ट्रेप पार्टी को रिश्वती राशि के लेन–देन होने का पता चल जाये। दोनों स्वतन्त्र गवाहन व ट्रैप पार्टी के सदस्यों को भी हिदायत दी गई कि जहां तक सम्भव हो अपनी–अपनी उपस्थिति छुपाते हुए रिश्वती लेन–देन को देखने एवं वार्तालाप को सुनने का प्रयास करें। इसके पश्चात् फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को श्री हर्ष कुमार कानि0 से ही मालखाना में रखवाया गया। एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी डलवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर मिलाकर घोल तैयार करवाने पर गिलास के घोल के रंग में कोई परिवर्तन नहीं आया। कांच के उक्त रंगहीन घोल में नोटों पर फिनोफथलीन पाउडर लगाने वाले श्री हर्ष कुमार कानि0 के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया। इस तरह दोनों स्वतंत्र गवाहान् श्री श्रीकिशन कश्यप व श्री प्रकाश गुर्जर एवं परिवादी श्री जवानलाल को दृष्टांत देकर समझाईश की गई कि जो भी व्यक्ति इन फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त नोटो के हाथ लगायेगा या छुऐगा तो उसके हाथों की अंगुलियों को सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में धुलवाने पर दोनों पाउडरों के परस्पर मिश्रण से घोल का रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हो जायेगा, जिससे यह जाहिर होगा कि उसने फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त रिश्वत राशि प्राप्त की है। इसके पश्चात् श्री हर्ष कुमार कानि. के द्वारा ही गिलास में दृष्टान्त के उपयोग में लिये गये गुलाबी घोल को बाथरूम के वॉश बेसिन में डलवाकर नष्ट करवाया गया तथा गिलास को साफ साबुन पानी से धुलवाकर कार्यालय में ही छोड़ा गया। फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने में काम में लिये गये अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया। दो अलग गिलासों, चम्मच, खाली पव्वों ट्रेप सामग्री किट इत्यादी को भी साफ पानी व साबुन से अच्छी तरह धुलवाये जाकर ट्रेप बाक्स में रखवाये गये। श्री हर्ष कुमार कानि0 एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यों के दोनों हाथों को भी साफ पानी व साबुन से धुलवाया गया। इसके पश्चात् परिवादी को छोड़कर समस्त पार्टी के सदस्यगणों की अपनी–अपनी आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तथा ट्रेप दल में ब्यूरो स्टाफ के पास स्वंय के विभागीय परिचय पत्र रहने दिये गये, किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु अथवा राशि नहीं रहने दी गई। इसके पश्चात् पुनः परिवादी सहित समस्त ट्रेप पार्टी के हाथ साफ पानी एवं साबुन से धुलवाये गये। रिश्वती लेन देने के समय होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु एक डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के रख रखाव व संचालन की विधि समझाकर परिवादी श्री जवानलाल को सुपुर्द किया गया। दृष्टांत कार्यवाही की पृथक से फर्द हाजा मुर्तिब की जाकर हाजरिन को पढ़कर सुनाई गई, सुन समझ सही मान समस्त ने अपने–अपने हस्ताक्षर किये। दिनांक 21.11.2022 समय 11:40 एएम पर ट्रेप कार्यवाही से पूर्व की सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय परिवादी श्री जवानलाल व स्वतंत्र गवाहान श्री श्रीकिशन कश्यप व श्री प्रकाश गुर्जर तथा ब्यूरो स्टाफ के श्री मोहम्मद आफाक हैड कानि. नं. 97, श्री देवदान सिंह कानि. नं. 425, श्री पवन कुमार कानि. 28, श्री चन्द्रेश गोयल कानि. नं. 279, श्री शिवराज कानि. नं. 166 मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर तथा सरकारी वाहन बोलेरो चालक श्री छोटूलाल नं. 534 के व प्राईवेट वाहन से बजानिब गंगधार की ओर ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना हुआ। श्री हर्ष कुमार कानि. नं. 234 को ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ में छोड़ा गया। दिनांक 21.11.2022 समय 02:20 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय परिवादी श्री जवानलाल व स्वतंत्र गवाहान तथा ब्यूरो स्टाफ के सरकारी व प्राईवेट वाहन से पूर्व निर्धारित

स्थान गंगधार में सुभाष चौराहा के नजदीक पहुंचा। साथ लाये वाहनों को एक तरफ खड़ाकर वाहनों से उतर कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री जवानलाल को पुनः समझाईश कर रवाना किया तथा वहीं चौराहे के आसपास मुकिम रहकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनों सरकारी गवाहान् व जाब्ते को निर्देशित कर अपनी–अपनी स्थिति छुपाते हुए चौराहे के आसपास ट्रेप जाल बिछाया। कुछ समय बाद एक पेंट शर्ट पहने गले में सफेद रंग की साफी डाले एक व्यक्ति के पास परिवादी पहुंचा तथा उससे आपस में बातचीत करने लगा। दिनांक 21.11.2022 समय 02:40 पीएम पर परिवादी श्री जवानलाल ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुभाष चौक, गंगधार स्थित राजस्थान टायर्स एण्ड वेल्डिंग वर्क्स की दुकान के सामने से पूर्व निर्धारित ईशारा सिर पर हाथ फिराकर करने पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय ट्रेप पार्टी व स्वतंत्र गवाहान के परिवादी श्री जवानलाल के पास पहुंचा तथा पूर्व में परिवादी को रिश्वत लेन–देन वार्तालाप करने के लिए सुपुर्द किया गया डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बन्द कर कब्जे में लिया। तत्पश्चात् परिवादी श्री जवानलाल से आरोपी द्वारा रिश्वत राशि मांगने, प्राप्त करने व रखने वाली जगह के बारे में पूछा गया तो परिवादी ने दुकान के सामने साईड में खड़े गोरे रंग के पेन्ट शर्ट पहने हुए गले में सफेद रंग की साफी डाले हुए व्यक्ति की और ईशारा कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को रूबरू स्वतंत्र गवाहान बताया कि साहब यही अंन्तिम मीणा रोजगार सहायक ग्राम पंचायत सुनारी है जिन्होंने मुझसे अभी–अभी मेरी पत्नि श्रीमती सोरम बाई के नाम से प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत ग्राम सुनारी में हमारे द्वारा निर्मित मकान की अन्तिम किश्त व मस्ट्रोल राशि के 67,000रूपये मेरी पत्नि के सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा उन्हेल के बैंक खाते में डलवाने तथा निर्मित मकान का फोटो खिंचने व उस पर नाम लिखने की एवज में 10,000रूपये रिश्वत राशि की मांग कर प्राप्त कर अपनी पहनी हुई काले रंग की पेन्ट की साईड वाली दाहिनी जेब में रख ली है। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, परिवादी, स्वतंत्र गवाहान व ट्रेप पार्टी को साथ लेकर दुकान के सामने खड़े गोरे रंग के पेन्ट शर्ट पहने व्यक्ति के पास पहुंचा तथा उसे अपना व हमराहीयान का परिचय दिया तथा यहां आने का प्रयोजन बताया तो वह अत्यन्त घबरा गया जिसे तसल्ली देकर शांत कर उसका दाहिना हाथ श्री चन्द्रेश गोयल कानि0 279 से तथा बायां हाथ श्री देवदान सिंह कानि0 425 द्वारा कलाई से उपर पकड़वाया गया तथा घटनास्थल पर ही उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम अन्तिम कुमार पुत्र स्व0 श्री कैलाशचन्द जाति मीणा उम्र 38 साल निवासी चौमहला थाना/तहसील गंगधार जिला झालावाड़ हाल रोजगार सहायक ग्राम पंचायत सुनारी पंचायत समिति डग जिला झालावाड़ (राज0) होना बताया। चूंकि मौके पर ट्रेप कार्यवाही की भनक लगते ही काफी लोगों की भीड़–भाड़ एकत्रित हो गयी है ऐसी स्थिति में घटनास्थल पर ट्रेप कार्यवाही किया जाना सम्भव नही है। अतः अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु उपयुक्त स्थल को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी श्री अन्तिम कुमार रोजगार सहायक को साथ में ले गये चौपहिया प्राईवेट वाहन में उसी स्थिति में दोनों हाथ पकड़े हुए बैठाकर तथा मय सरकारी वाहन के थाना गंगधार पर ट्रेप पार्टी, स्वतंत्र गवाहान तथा आरोपी को साथ लेकर पहुंचा। थाना गंगधार पर मौजूद थानाधिकारी श्री राधेश्याम चौधरी पुलिस उपनिरीक्षक को अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु बिजली व टेबल कुर्सी की सुविधा युक्त उपयुक्त कक्ष उपलब्ध कराने का आग्रह किया जिस पर उनके द्वारा थाने के अन्दर स्थित अनुसंधान कक्ष को कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराया गया। अग्रिम कार्यवाही के क्रम में आरोपी श्री अन्तिम कुमार रोजगार सहायक से परिवादी श्री जवानलाल से प्राप्त की गयी 10,000रूपये की रिश्वत राशि के बारे में पूछा गया कि उसने यह रिश्वत राशि क्यों व किस उद्देश्य के लिए ली है। इस पर आरोपी ने रूबरू गवाहान बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत श्री जवानलाल की पत्नि श्रीमती सोरम बाई के नाम से ग्राम सुनारी में निर्मित मकान की किश्त व मस्ट्रोल राशि के पूर्व में 73,000रूपये सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, उन्हेल शाखा के बैंक खाते में जमा कराये थे उस समय श्री जवानलाल ने मुझे खर्चे पानी के 3,000रूपये दिये थे। उसके बाद उसकी अन्तिम किश्त के 60,000रूपये तथा मस्ट्रोल के 7,000रूपये कुल 67,000रूपये बैंक खाते में डलवाने, मकान का फोटो खिंचवाने तथा नम्बर लिखवाने के लिए मेरे पास श्री जवानलाल कई बार आया था तो इसने मुझे 10,000रूपये अपनी इच्छा से देने की बात कही थी। मैंने उससे कोई रिश्वत राशि की मांग नही की है। पंचायत समिति डग में सिस्टम बना रखा है जहां पर मुझे जो भी कोई रिश्वत राशि के रूपये देता है उसका 70प्रतिशत में पंचायत समिति में कार्यरत श्री शैलेन्द्र कुमार टेलर कम्प्यूटर ऑपरेटर को देता हूं तथा श्री शैलेन्द्र कुमार टेलर ही बी.डी.ओ. साहब व अन्य कर्मचारियों को देता है। यदि झालावाड़ जिला परिषद में कोई रिश्वत राशि दी जाती होगी तो वह बी. डी.ओ. साहब डग देते होगें। मुझे इस बारे में जानकारी नही है। परन्तु यह लोग वहां पर रूपये देने की बात कहते रहते है। यह सही है कि श्री जवानलाल ने मुझे उसकी पत्नि के खाते में प्रधानमंत्री आवास योजना की अन्तिम किश्त की राशि डलवाने के लिए मोबाईल पर भी कई बार बातचीत भी की है। मैंने एक बार श्री जवानलाल के साथ आये ग्राम सुनारी के श्री नारायण लाल मेहर से भी 20,000रूपये लिये थे उसमें से भी मैंने श्री शैलेन्द्र कुमार टेलर कम्प्यूटर ऑपरेटर को 10,000रूपये दिये थे। मैं प्रधानमंत्री आवास योजना में निर्मित मकान की जीओ टेक (लॉकेशन) करने के बाद ग्राम पंचायत सचिव श्री हरीश शर्मा को यूसी व सीसी देता हूं फिर ग्राम पंचायत सचिव अपनी सील लगाकर अपने हस्ताक्षर कर मुझे लौटा देता है फिर मैं पंचायत समिति डग में तैनात श्री शैलेन्द्र कुमार टेलर कम्प्यूटर ऑपरेटर को देता हूं। उसके बाद पंचायत समिति डग से जिला

परिषद झालावाड़ में भिजवाते है। जिला परिषद झालावाड़ से अनुमोदन होने के बाद पुनः पंचायत समिति डग में आने के बाद उसका भुगतान करने के लिए श्री शैलेन्द्र कुमार टेलर एफटीओ बनाते है तथा उस पर बी.डी. ओ. के हस्ताक्षर होने के बाद सम्बंधित लाभार्थी/आवेदक के बैंक खाते में किश्त राशि के रूपये जमा हो जाते है। मुझे जो भी रिश्वत राशि के रूपये मिलते है उसमें से खर्चे पानी के रूपये ग्राम पंचायत सचिव श्री हरीश शर्मा को भी देता हूं। आरोपी द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण में स्वंय उसके द्वारा भी रिश्वत राशि प्राप्त करने तथा रिश्वत राशि में से ग्राम पंचायत सचिव व पंचायत समिति डग के कार्मिक श्री शैलेन्द्र कुमार टेलर कम्प्यूटर ऑपरेटर को रूपये देने की बात कही है। आरोपी द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण में उसके द्वारा कोई रिश्वत राशि नही मांगने के वर्जन का परिवादी श्री जवानलाल ने खण्डन करते हुए बताया कि श्री अन्तिम कुमार रोजगार सहायक झूठ बोल रहे है। इन्होने मुझसे मेरी पत्नि श्रीमती सोरम बाई के बैंक खाते में प्रधानमंत्री आवास योजना की किश्त व मस्ट्रोल राशि के 67,000रूपये डालने के लिए बार–बार चक्कर कटवाया था। मैंने जब इनसे किश्त की राशि डलवाने व निर्मित मकान का फोटो खिंचने व नाम लिखने के लिए कहा तो इन्होने मुझसे 30,000रूपये रिश्वत राशि की मांग की थी जिसमें 3,000रूपये इन्होने मुझसे पूर्व में ही ले लिये है तथा शेष रिश्वत राशि के 27,000रूपये देने पर अन्तिम किश्त व मस्ट्रोल राशि के 67,000रूपये मेरी पत्नि के सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, उन्हेल के बैंक खाते में डालने तथा उसके बाद ही मकान पर नाम लिखने व फोटो खिंचने के लिए रिश्वत राशि की मांग करने पर मेरे द्वारा दिनांक 17.11.2022 को आपके कार्यालय में जाकर इनको रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़वाने की रिपोर्ट दी थी जिस पर आप द्वारा उसी रोज मुझे डिजिटल वाईस रिकॉर्डर देकर श्री देवदान सिंह जी के साथ गंगधार भेजा था। जहां पर इनसे गंगधार चौराहा पर मैंने श्री अन्तिम कुमार रोजगार सहायक से मेरे काम कराने के सम्बंध में बातचीत की तो उन्होने 27,000रूपये मांगे थे जिस पर मैंने कहा था कि दिनांक 21.11.2022 सोमवार को 10,000रूपये आपको दे दूंगा। इस प्रकार मैंने इनके द्वारा यह 10,000रूपये की रिश्वत राशि मांगने पर ही दी है। फिर आरोपी श्री अन्तिम कुमार रोजगार सहायक के दोनों हाथों की धुलाई हेतु दो साफ कांच के गिलासों में सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। तत्पश्चात एक कांच के गिलास में तैयार घोल मे आरोपी श्री अन्तिम कुमार रोजगार सहायक के दाहिनें हाथ की उंगलियों व अंगूठे को उक्त गिलास के घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गहरा गुलाबी प्राप्त हुआ। जिसे दो साफ कांच की शिशियों में आधा–आधा मोके पर भरकर सील–मोहर चिट कर मार्का आरएच–1, आरएच–2 अंकित कर सबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा ब्यूरो लिया गया। फिर दूसरे कांच के गिलास में तैयार घोल में आरोपी श्री अन्तिम कुमार रोजगार सहायक के बायें हाथ की उंगलियो व अंगूठे को उक्त गिलास के घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी प्राप्त हुआ। जिसे दो साफ कांच की शिशियो में आधा–आधा मौके पर भरकर सील–मोहर चिट कर मार्का एलएच–1, एलएच–2 अंकित कर सबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा ब्यूरो लिया गया। फिर गवाह श्री श्रीकिशन कश्यप को आरोपी श्री अन्तिम कुमार रोजगार सहायक की पहनी हुई काले रंग की पेन्ट की साईड की दाहिनी जेब की तलाशी लेने के निर्देश दिये जाने पर उनके द्वारा जेब की तलाशी में 500–500 रूपये के नोटों की एक थेई पेश की। जिनकी गिनती करने पर 500–500रूपये के 20 नोट कुल राशि 10,000रूपये होना पाया गया। फिर अन्य स्वतंत्र गवाह श्री प्रकाश गुर्जर को फर्द सुपुर्दगी नोट देकर उक्त बरामद नोटों का मिलाने करने पर दोनों गवाहों ने फर्द सुपुर्दगी में अंकित नोटों के हुबहु रिश्वत राशि वाले 500–500रूपये के 20 नोट कुल 10,000रूपये होना बताया। बरामद शुदा नोटो के नम्बर निम्न प्रकार हैः–

1	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	6CH 882316
2	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	3BU 748634
3	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	5ND 495571
4	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	0CH 139702
5	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	7GC 569009
6	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	6BE 461000
7	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	6HS 184742
8	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	4VE 314046
9	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	9RM 134534
10	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	2HS 997840
11	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	6QU 308618
12	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	1HD 409291
13	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	3BH 239740
14	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	8AH 938854
15	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	8KH 340390
16	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	6SK 194903

17	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	0GP 348054
18	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	2NA 591250
19	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	5PA 746387
20	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	7BE 887654

उक्त बरामद नोटों को कागज में मौके पर ही सील–मोहर चिट कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा ब्यूरो लिया गया। उक्त रिश्वत राशि के बरामद नोटों के अलावा आरोपी श्री अन्तिम कुमार रोजगार सहायक के पास जामा तलाशी में अन्य कोई महत्वपूर्ण वस्तु/नकदी/दस्तावेज नही मिले, जिन्हे बतौर वजह सबूत कब्जा ब्यूरो लिया जावें। तत्पश्चात् आरोपी श्री अन्तिम कुमार को पहनने हेतु दूसरा पेन्ट मंगवाकर पहनवाकर रिश्वत राशि रखी हुई काले रंग की पेन्ट की साईड की दाहिनी जेब की धुलाई हेतु एक कांच के साफ गिलास में सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। फिर आरोपी की पहनी हुई काले रंग की पेन्ट की साईड की दाहिनी जेब को उलटवाकर उक्त घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गहरा गुलाबी प्राप्त हुआ। जिसे दो साफ कांच की शिशियों में आधा–आधा भरकर मौके पर ही सील–मोहर चिट कर मार्का पी–1, पी–2 अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा ब्यूरो लिया गया। काले रंग के पेन्ट की जेब की धुलाई के पश्चात् पंखे की हवा में सुखाकर उस पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कपड़े की थेली मे रखकर सील चिट करवाकर कब्जा ब्यूरो लिया गया तथा जब्त शुदा पेन्ट के शील्ड शुदा पैकेट को जब्त कर मार्क–पी अंकित किया गया। परिवादी श्री जवानलाल की पत्नि श्रीमती सोरम बाई के नाम से प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत स्वीकृत व निर्मित मकान से सम्बंधित आवेदन पत्र (पत्रावली) तथा बैंक खाते में जमा करायी गयी किश्तों व मस्ट्रोल राशि तथा शेष किश्त राशि व मस्ट्रोल राशि से सम्बंधित पेण्डिंग कार्य का विवरण व सम्बंधित दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त की जावेगी। आरोपी श्री अन्तिम कुमार रोजगार सहायक का कोई कार्यालय अथवा निवास गंगधार में नही होने के कारण खाना तलाशी नही ली गयी है। दिनांक 21.11.2022 समय 04:00 पीएम पर घटना स्थल का नक्शा मौका व हालात मौका तैयार करने हेतु मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान व परिवादी श्री जवानलाल मय जाप्ता श्री शिवराज कानि0 166 को साथ लेकर सरकारी वाहन चालक के सुभाष चौक स्थित टायर्स व वेल्डिंग की दुकान के पास, गंगधार के लिए रवाना हुआ तथा आरोपी श्री अन्तिम कुमार रोजगार सहायक व अन्य ब्यूरो स्टॉफ को पुलिस थाना गंगधार में ही छोड़ा गया। दिनांक 21.11.2022 समय 04:30 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री जवानलाल के बताये अनुसार घटनास्थल का निरीक्षण कर फर्द नक्शा मौका व हालात मौका तैयार कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात् सम्बंधितों को हमराह लेकर घटनास्थल से रवाना होकर पुनः थाना गंगधार पहुंचा। दिनांक 21.11.2022 समय 05:30 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक घटनास्थल से रवाना शुदा पुलिस थाना गंगधार पहुंचा। आरोपी श्री अन्तिम कुमार पुत्र स्व0 श्री कैलाशचन्द जाति मीणा उम्र 38 साल निवासी चौमहला थाना/तहसील गंगधार जिला झालावाड़ हाल रोजगार सहायक ग्राम पंचायत सुनारी पंचायत समिति डग जिला झालावाड़ (राज0) की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्रीकिशन कश्यप से लिवायी जाकर रूबरू दोनों स्वतंत्र गवाहन के समक्ष जुर्म से आगाह कर जरिये फर्द गिरफ्तारी के, गिरफ्तार किया गया। आरोपी की गिरफ्तारी की सूचना उसके बताये अनुसार उसके पड़ौसी श्री रोहित सिंधी को दी गयी। फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गयी। दिनांक 21.11.2022 समय 05:50 पीएम पर आरोपी श्री अन्तिम कुमार पुत्र स्व0 श्री कैलाशचन्द जाति मीणा उम्र 38 साल निवासी चौमहला थाना/तहसील गंगधार जिला झालावाड़ हाल रोजगार सहायक ग्राम पंचायत सुनारी पंचायत समिति डग जिला झालावाड़ (राज0) को दोनों स्वतंत्र गवाहन श्री श्रीकिशन कश्यप व श्री प्रकाश गुर्जर के समक्ष, आरोपी को जुर्म से आगाह कर उसके संवैधानिक अधिकारों से अवगत करवाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने आरोपी को बताया कि दिनांक 17.11.2022 को परिवादी श्री जवानलाल द्वारा आपसे गंगधार चौराहा पुलिस चेक पोस्ट के निकट रिश्वत मांग सत्यापन के समय तथा दिनांक 21.11.2022 को सुभाष चौक स्थित टायर्स व वेल्डिंग की दुकान के पास, गंगधार में वक्त रिश्वत लेन देन बातचीत के समय परिवादी श्री जवानलाल से आपकी वार्ता हुई थी, उन दोनों वार्ताओं को परिवादी श्री जवानलाल द्वारा उसको एसीबी झालावाड़ द्वारा सुपुर्द किये गये डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया था, उसका एफएसएल से परीक्षण करवाना है। अतः जरिये फर्द प्राप्ति आरोपी को नमूना आवाज नोटिस दिया गया तो आरोपी श्री अन्तिम कुमार ने फर्द पर ही स्वंय के हस्तलेख में लिखकर दिया कि " मैं अपनी आवाज का परीक्षण नहीं कराना चाहता हूँ।" अंकित कर हस्ताक्षर किये। फर्द प्राप्ति नमूना आवाज नोटिस पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 21.11.2022 समय 06:15 पीएम पर सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व परिवादी श्री जवानलाल मय दोनों स्वतंत्र गवाहान व ब्यूरो स्टॉफ के सदस्य तथा गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री अन्तिम कुमार रोजगार सहायक को साथ लेकर मय ट्रेप बॉक्स व जब्त शुदा रिकॉर्ड व आर्टिकल्स, रिश्वत राशि 10,000रूपये तथा धोवन के सेम्पल आरएच–1, आरएच–2, एलएच–1, एलएच–2, पी–1, पी–2 व पेन्ट का शील्ड शुदा पैकेट मार्क–पी आदि को साथ लेकर

मय सरकारी व प्राईवेट वाहन से एसीबी चौकी झालावाड़ के लिए रवाना हुआ। दिनांक 21.11.2022 समय 08:50 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान दोनों स्वतन्त्र गवाहान, गिरफ्तारशुदा आरोपी एवं ब्यूरो स्टाफ के साथ लाये सरकारी व प्राईवेट वाहनों से ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ पहुँचा। मौके से जब्त शुदा व बरामद शुदा माल बतौर वजह सबूत, रिश्वत राशि 10,000रूपये तथा धोवन के सैम्पल इत्यादि श्री मोहम्मद आफाक मुख्य आरक्षक नं. 97 को सुपुर्द कर मालखाना रजिस्टर में इंद्राज करवाकर सुरक्षित मालखाना रखवाये गये। दिनांक 21.11.2022 समय 09:00 पीएम पर परिवादी श्री जवानलाल व दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री श्रीकिशन कश्यप व श्री प्रकाश गुर्जर की मौजूदगी में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा वक्त रिश्वत लेनदेन के समय हुई वार्तालाप जो डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गयी थी को श्री देवदान सिंह कानि. नं. 425 को निर्देश देकर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर से उक्त वार्ता को कार्यालय के कम्प्यूटर में लिवाकर दोनों स्वतंत्र गवाहान, परिवादी श्री जवानलाल को कम्प्यूटर के स्पीकर ऑन कर वार्ता को सुनाया गया, उक्त वार्ता में आवाज की पहचान कर परिवादी श्री जवानलाल ने एक आवाज स्वंय की तथा एक आवाज आरोपी श्री अन्तिम कुमार रोजगार सहायक की होना बताया। वार्ता की हुबहु कम्प्यूटर से टाईप कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता तैयार कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। दिनांक 21.11.2022 समय 09:40 पीएम पर दिनांक 17.11.2022 को परिवादी श्री जवानलाल व आरोपी श्री अन्तिम कुमार रोजगार सहायक के मध्य हुई रिश्वत सत्यापन वार्ता तथा दिनांक 21.11.2022 को वक्त रिश्वत लेनदेन के समय हुई परिवादी श्री जवानलाल व आरोपी श्री अन्तिम कुमार रोजगार सहायक के मध्य हुई वार्ताओं को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर से कार्यालय कम्प्यूटर में लेकर सेव किया गया था। उक्त दोनों वार्ताओं को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार श्री देवदान सिंह कानि0 नं0 425 के द्वारा जरिये कम्प्यूटर चार सीडी डब करवाई गई, जिसमें एक सीडी आरोपी श्री अन्तिम कुमार रोजगार सहायक के लिये, एक सीडी नमूना आवाज हेतु तथा एक सीडी माननीय न्यायालय हेतु कपड़े की थेली में अलग–अलग रखकर तीन सीडीयों को सील मोहर की गई तथा एक सीडी अनुसंधान अधिकारी हेतु पृथक से खुली रखी गई। जिसकी फर्द डबिंग सीडी पृथक से तैयार करवाकर सीडी व फर्द पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर फर्द को शामिल पत्रावली की गयी। दिनांक 21.11.2022 समय 10:05 पीएम पर कार्यालय में हवालात की व्यवस्था नहीं होने के कारण गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री अन्तिम कुमार रोजगार सहायक को वास्ते सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस थाना कोतवाली झालावाड़ की हवालात में बंद करवाने हेतु तहरीर देकर जरिये श्री मोहम्मद आफाक मुख्य आरक्षक नं. 97 व श्री चन्द्रेश गोयल कानि0 279 के साथ सरकारी बोलेरो वाहन से रवाना किया गया तथा परिवादी श्री जवानलाल एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री श्रीकिशन कश्यप व श्री प्रकाश गुर्जर को सम्पूर्ण कार्यवाही के पश्चात् ब्यूरो कार्यालय से रूखसत किया गया। दिनांक 21.11.2022 समय 10:40 पीएम पर आरोपी श्री अन्तिम कुमार रोजगार सहायक को वास्ते सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस थाना कोतवाली झालावाड़ की हवालात में बन्द करवाकर श्री मोहम्मद आफाक मुख्य आरक्षक नं. 97 व श्री चन्द्रेश गोयल कानि0 279 कार्यालय में हाजिर आये।

अब तक की कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी श्री जवानलाल पुत्र श्री रोडूलाल जाति मेहर उम्र 32 साल निवासी मकान नम्बर 10, बलाई मोहल्ला ग्राम सुनारी, तहसील व थाना गंगधार जिला झालावाड़ (राज0) ने ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ पर स्वंय उपस्थित होकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र पेश किया। परिवादी श्री जवानलाल के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया गया तथा परिवादी ने मजमून दरियाफ्त पर बताया कि उसकी पत्नि श्रीमती सोरम बाई के नाम से प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत ग्राम सुनारी में आवास निर्माण का कार्य स्वीकृत हुआ है, जिसका निर्माण कार्य पूर्ण करा दिया है। उसकी पत्नि श्रीमती सोरम बाई के नाम से सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा, उन्हेल में बचत बैंक खाता है जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना की किश्तों के 15,000 व 45,000 कुल 60,000रूपये तथा मस्ट्रोल के 13,000रूपये कुल मिलाकर 73,000रूपये की रकम उसकी पत्नि के बैंक खाते में जमा हो गयी है तथा जमा राशि का उपयोग भी हमने मकान निर्माण कार्य में कर लिया है। मकान निर्माण की अगली किश्त के 60,000रूपये तथा मस्ट्रोल के 7,000रूपये कुल 67,000रूपये बैंक खाते में आना शेष है। ग्राम सुनारी में उनके द्वारा मकान निर्माण कार्य पूर्ण कराने के बावजूद भी उसकी पत्नि के बैंक खाते में श्री अन्तिम कुमार मीणा रोजगार सहायक द्वारा नही डलवाये गये है। इस सम्बंध में वह स्वंय ग्राम पंचायत सुनारी में तैनात रोजगार सहायक श्री अन्तिम कुमार मीणा से कई बार मिला तो श्री अन्तिम कुमार मीणा ने उसको उसकी पत्नि के बैंक खाते में प्रधानमंत्री आवास योजना की बकाया किश्त व मस्ट्रोल के 67,000रूपये डलवाने की एवज में 30,000रूपये रिश्वत राशि की मांग की है। जबकि उसके द्वारा श्री अन्तिम कुमार मीणा रोजगार सहायक को 3,000रूपये पूर्व में ही दे दिये थे तथा शेष 27,000रूपये रिश्वत राशि नही देने पर वह उसको डेढ–दो महिने से चक्कर कटवा रहा है। उसने अपने मोबाईल नम्बर 6378877863 से श्री अन्तिम कुमार मीणा के मोबाईल

नम्बर 9309220968 पर कई बार बातचीत कर पैसे डलवाने के लिए हाथाजोड़ी की परन्तु श्री अन्तिम कुमार मीणा ने कहा कि तुमको बता दिया है उतने रूपये लेकर आ जाओ तुम्हारा काम हो जायेगा। मुझे तुमसे कोई फालतू बातें नही करनी है। श्री अन्तिम कुमार मीणा ने परिवादी से कहा कि जब तक रिश्वत राशि के 27,000रूपये नही दोगें तब तक न तो तुम्हारे प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत बनाये गये मकान पर नाम लिखूंगा और ना ही बनाये गये मकान का फोटो खिचूंगा। जब तक यह काम नही करूंगा तब तक तुम कैसे रूपये ले सकते है। तुम चक्कर काटते ही रहो। श्री अन्तिम कुमार मीणा ने परिवादी को यह भी कहा कि तुम्हारी वजह से मेरा सारा सिस्टम बिगड़ रहा है तुमने गांव का माहौल खराब कर रखा है, कि इनको कोई रूपये नही देने है। इस वजह से जिससे भी रूपये देने के लिए बोलता हूं वह कहता है कि जवानलाल ने तो रूपये दिये ही नही तो फिर हम भी तुमको रूपये क्यों दे। परिवादी को श्री अन्तिम कुमार मीणा ने यह भी कहा कि मुझे झालावाड़ जाकर भी ऊपर तक रूपये देने पड़ते है। परिवादी ने कहा कि मैं हमारे जायज काम के लिए श्री अन्तिम कुमार मीणा रोजगार सहायक को 27,000रूपये रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हूं तथा उनको रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूं। मेरी पत्नि श्रीमती सोरम बाई द्वारा मुझे कार्यवाही कराने के लिए बोल रखा है। परिवादी श्री जवानलाल द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र व मजमून दरियाफ्त से मामला संशोधित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 की धारा 7 की परिधि में पाये जाने पर उसी दिन दिनांक 17.11.2022 को रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया गया तो परिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित किये गये तथ्यों की पुष्टि हुई इस पर दिनांक 21.11.2022 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन कर आरोपी श्री अन्तिम कुमार रोजगार सहायक को परिवादी श्री जवानलाल से उसके पेण्डिंग कार्य के सम्बंध में 10,000रूपये की रिश्वत राशि मांग कर प्राप्त कर अपनी पहनी हुई काले रंग की पेंट की दाहिनी जेब में रखना। जहां से आरोपी श्री अन्तिम कुमार रोजगार सहायक को 10,000रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। आरोपी के उक्त कृत्य पर आरोपी श्री अन्तिम कुमार रोजगार सहायक के दोनों हाथों का धोवन लिया गया तो दाहिने हाथ का धोवन का रंग गहरा गुलाबी व बायें हाथ के धोवन का रंग गुलाबी तथा पेन्ट का धोवन गहरा गुलाबी प्राप्त हुआ। जिसकी विस्तृत फर्द बरामदगी रिश्वती राशि एवं हाथ धुलाई मूर्तिब की गयी। घटनास्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया। ट्रेप कार्यवाही के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी को उसकी आवाज का नमूना देने हेतु नोटिस दिया गया, तो उसने अपने प्रतिउत्तर में स्वैच्छा से अपनी आवाज का नमूना नहीं देने बाबत् लिखित में देना तथा रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 17.11.2022 व वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता दिनांक 21.11.2022 की फर्द ट्रांसक्रिप्ट आदि से आरोपी का उक्त कृत्य जुर्म धारा 7 पी.सी. एक्ट संशोधित 2018 आईपीसी का अपराध प्रमाणित पाया गया है।

अतः आरोपी श्री अन्तिम कुमार पुत्र स्व0 श्री कैलाशचन्द जाति मीणा उम्र 38 साल निवासी चौमहला थाना/तहसील गंगधार जिला झालावाड़ हाल रोजगार सहायक ग्राम पंचायत सुनारी पंचायत समिति डग जिला झालावाड़ (राज0) के विरूद्ध जुर्म अंतर्गत धारा 7 पी.सी. एक्ट संशोधित 2018 का अपराध घटित पाये जाने पर आरोपी श्री अन्तिम कुमार रोजगार सहायक के विरूद्ध उक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की जाकर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक सी0पी0एस0 भ्रनिब्यूरो राजस्थान जयपुर को सादर प्रेषित है।

भवदीय;

(भवानी शंकर मीणा)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
झालावाड़।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री भवानी शंकर मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झालावाड़ ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री अन्तिम कुमार पुत्र श्री कैलाशचन्द, रोजगार सहायक, ग्राम पंचायत सुनारी पंचायत समिति डग, जिला झालावाड़ के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 448/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

(कालूराम रावत)
उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक 3876-79 दिनांक 22.11.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् झालावाड़।
3. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झालावाड़।

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।